श्री नवनीत सिंह चहल,मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में दिनॉक–25 अगस्त ,2015 को सम्पन्न जिला सैनिक बन्धु की मासिक बैठक का कार्यवृत्त :–

उ0प्र0 शासन के आदेशानुसार पूर्व सैनिकों/दिवगंत सैनिकों की पत्नियों तथा उनके आश्रितों की समस्याओं का निस्तारण प्रतिमाह तीसरे शनिवार को बैठक कर, किया जाता रहा है। परन्तु जिलाधिकारी महोदय की व्यस्तता के कारणवश बैठक की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ द्वारा की गई। जिसका संचालन मेजर, वी0के0 सिंह, अ0प्रा0, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी,बिजनौर,अतिरिक्त प्रभार जनपद मेरठ द्वारा किया गया ।

सर्व प्रथम मेजर, वी0के0 सिंह, अ0प्रा0, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी,बिजनौर,अतिरिक्त प्रभार जनपद मेरठ द्वारा समस्त सभा का स्वागत किया गया । तदोपरान्त मुख्य विकास अधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों के लम्बित प्रकरणों/ बिन्दुओं का निराकरण निम्नवत किया गया । अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति साथ में संलग्न है ।

(1) मेजर पदम सिंह वर्मा(अ0प्रा0) ,निवासी– डिफेन्स एन्कलेव कालौनी,सरधना रोड कंकरखेडा,मेरठ ने उक्त कालोनी में अतिकमण किये जाने की शिकायत की थी । दिनांक 25 अगस्त 2015 की बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने एमडीए व नगर निगम के अधिशासी अभियन्ताओं को आदेश दिया कि दोनो विभाग मिलकर एक या दो दिन में एनाउंसमेंट करा दे कि कालोनी वासी अपने घरो के सामने किये गये अतिकमण को स्वंय हटा ले अन्यथा अतिकमण कर्ताओं से अतिकमण हटाने का खर्चा वसूला जायेगा। तत्पश्चात दिनांक 28 अगस्त 2015 को पर्याप्त फोर्स लेकर अतिकमण तुरन्त हटाकर आख्या प्रस्तुत करें।
(कार्यवाही–नगर आयुक्त,नगर निगम,मेरठ,उपाध्यक्ष,मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ व एस0पी0सिटी मेरठ)

(2) पूर्व ओनरेरी कैप्टन एन पी सिंह निवासी,न्यू सैनिक विहार,फाजलपुर,वार्ड–9,मेरठ ने कालोनी में एल टी लाईन के तार बदलने तथा अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर हेतु दिनांक 24–9–2011 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था । दिनांक 25–08–2015 को मासिक बैठक के दौरान श्री राजीव कुमार सिंह अधि0 अभियन्ता,ई.यूडीडी–।। ने अवगत कराया कि जर्जर तारों को बदल दिया गया है, शेष कार्य अतिशीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।
(कार्यवाही– मुख्य अभियन्ता पश्चिमांचल विघुत वि0 नि0 लि0 मेरठ क्षेत्र विक्टोरिया पार्क,मेरठ।

(3) पूर्व सैनिक बीर सिंह सिवाच निवासी 95 ग्रेटर पल्लव पुरम मेरठ ने 19–11–2011 को शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि उसके पुत्र पियूष सिवाच की हत्या कर दी है, हत्यारों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करें। आख्या प्राप्त हुई कि विभिन्न विवेचकों द्वारा घटना अनावरण के भरसक प्रयास किये गये परन्तु काफी प्रयासों के उपरान्त भी माल व मुल्जिमान के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी । अभियोग में अब विवेचना स्तर पर अन्य कोई कार्यवाही किया जाना शेष नहीं हैं । दिनांक 19–06–2015 को बैठक के दौरान एक्स सर्विसमैन लीग के संरक्षक रिटार्यड ब्रिगेडियर रनबीर सिंह,एवीएसएम,वीर चक ने जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया कि केस को बन्द न किया जाये और हत्यारो का पता लगाया जाये, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने आश्वसन दिया कि एस0एस0पी0 महोदय से केस बन्द न कर, केस का खुलासा करने हेतु कहा जायेगा। एस0पी0सिटी के पत्र दिनांक 24–08–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि थाना दौराला मेरठ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 687/11 धारा 302/394 भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है,जिसके शीध्र सफल निस्तारण हेतु मेरे द्वारा संबधित को निर्देशित कर दिया गया है।
(कार्यवाही–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मेरठ ।)

(4) दिनांक 16–11–13 को लै0कर्नल वी0पी0सिंह (अ0प्रा0) उप सभापति डिफैंस एन्कलेव समिति बी ब्लाक सरधना रोड, कंकरखेडा, मेरठ ने कालौनी में अतिकमण व दीवार तोड कर अवैध रूप से गेट बनाने के बारे में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया । दिनांक 25–08–2015 को बैठक के दौरान एमडीए व नगर निगम के अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 28–08–2015 को गेट बन्द कराने की कार्यवाही की जायेगी ।
(कार्यवाही–मेरठ विकास प्राधिकरण,,नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ व एस0पी0 सिटी मेरठ)

(5) दिनांक 25–03–2015 को पूर्व सैनिक अमर बीर सिंह सिरोही निवासी–नंगला शेरखांन उर्फ जैनपुर जिला मेरठ ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि वर्ष 1987 में शताब्दी नगर आवासीय योजना के तहत मेरे नाम का पटटा अधिग्रहण कर लिया गया था जिसके भुगतान हेतु मैं वर्ष 2011 में एमडीए गया तो एमडीए ने विवादित बताकर भुगतान नहीं किया । दिनांक 28–08–2015 को बैठक के दौरान एमडीए के अभियन्ता ने अवगत कराया कि आवेदक ने हाई कोर्ट में वाद दायर किया हुआ है, परन्तु गत माह की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आउट आफ कोर्ट निर्णय कर भुगतान की कार्यवाही यथा शीघ्र की जायेगी।
(कार्यवाही–उपाध्यक्ष,मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ)

(6) दिनांक 17–04–2015 को पूर्व सैनिक गिरवर सिंह यादव ,निवासी–म0न0–43,जामुन मौहल्ला,लालकुर्ती, मेरठ ने पी0एल0 शर्मा रोड पर दुकान खाली कराने व किराया वसूली के सम्बन्ध में प्रार्थना–पत्र दिया था। आख्या प्राप्त हुई कि दुकान खाली करने के लिए किरायेदार श्री महेश ने 03–04 माह का समय मांगा है ।एस0पी0सिटी के पत्र दिनांक 24–08–2015 के द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व सैनिक की शिकायत के सम्बन्ध में थाना लालकुर्ती मेरठ पर मु0अ0सं0 213/15 धारा 448/504/506 भा0दं0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है तथा विवेचना अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उक्त अभियोग मे शेष वांछित कार्यवाही पूर्ण कराकर विवेचना का सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र सफल निस्तारण कराना सुनिश्चित करे।
(कार्यवाही–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।)

कमश पेज–2

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ

(07) दिनांक 17-04-2015 को पूर्व सैनिक की पत्नी श्रीमती कन्यावती,निवासी-मानपुर,तह0-मवाना, मेरठ ने कृषि भूमि व मकान वापस दिलाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जोकि मूल रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। आख्या प्राप्त हुई कि प्रकरण जमीन/प्लाट संबधी विवाद का होना पाया गया जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है तथा बैनामा भी तहसील में किया गया है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस स्तर से अन्य कोई कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। थानाध्यक्ष भावनपुर से भी आख्या प्राप्त हुई है कि आवेदक का दामाद वकील का मुंशी है तथा आये दिन बढा-चढा कर प्रार्थना-पत्र देने का आदी है एवँ कृषि भूमि का मामला मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है परन्तु मकान पर कब्जा व मारपीट करना असत्य पाये गये है। आवेदक का मकान खाली पडा है तथा मकान पर कोई वाद नहीं है।
(कार्यवाही- रिटायर्ड मेजर राजपाल सिंह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ ।)

(08) दिनांक 17-04-2015 को पूर्व सैनिक अनिल कुमार,निवासी-सैफपुर, फिरोजपुर पो-मोड खुर्द,मेरठ ने पुलिस भर्ती में एक्ससर्विसमैन कोटा खाली रहने के बारे में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जोकि मूल रूप में उ0प्र0पुलिस भर्ती एवँ प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया । कोई प्रगति सूचना/ऑख्या प्राप्त न होने पर दिनांक 28-08-2015 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने कार्यवृत्त/अनुस्मारक की छायाप्रति भेजने का आदेश दिया ।
(कार्यवाही- उ0प्र0पुलिस भर्ती एवँ प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ ।)

(9) दिनांक 28-05-2015 को पूर्व सैनिक हरपाल सिह निवासी-दौराला,वार्ड-05, ब्रहम्पुरी, जिला मेरठ ने परिवार की सुरक्षा एवँ सहायता हेत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। एस0पी0सिटी महोदय मेरठ के पत्र दिनांक 24-08-2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि दोनो पक्षो द्वारा मेरे कार्यालय में स्टाम्प पेपर पर आपसी सहमति लिखकर दी है कि रू0 20,000/- दिनांक 20-09-2015 को देकर आपसी फैसला कर लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में दोनो पक्ष सहमत होकर अपने-अपने घर चले गये।
(कार्यवाही-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मेरठ)

(10) दिनांक 28-05-2015 को पूर्व सैनिक औनरेरी कैप्टन एम0एच0खान, म0न0-84/10 शास्त्री नगर मेरठ ने सरकारी सडक पर मकान बनाने के बारे प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जोकि मूल रूप में उ0प्र0 आवास विकास मेरठ को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है । दिनांक 19-06-2015 को उ0प्र0 आवास विकास परिषद मेरठ से आख्या प्राप्त हुई कि शास्त्रीनगर योजना सं0-7 मेरठ के सेक्टर -1 से सेक्टर-10 तक की समस्त सेवाऐँ यथा सडक,रख-रखाव हेतु काफी समय पूर्व नगर निगम को हस्तान्तरित की जा चुकी है । अतः अतिक्रमण नगर निगम द्वारा हटाया जाना है। परिषद स्तर से जो भी सहयोग वांछित है वह सहयोग किया जायेगा । दिनांक 25-08-2015 को बैठक में उपस्थित नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता ने आश्वासन दिया कि कार्यवाही शीघ्र कर आख्या उपलब्ध करा दी जायेगी।
(कार्यवाही- नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ)

(11) दिनांक 25-08-2015 को भारत-पाक युद्ध 1965 में शहीद प्रीतम सिंह की पुत्री श्रीमती सुदेश देवी पत्नी स्व0 राम सिंह निवासी-ग्राम-चन्दावली,बल्लभगढ जिला-फरीदाबाद(हरियाणा) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि सरकार की तरफ से शहीद की पत्नी अर्थात आवेदिका की माता को ग्राम-मछरी तहसील-सरधना जिला-मेरठ ने सीलिंग की भूमि दी गयी थी को हडपने के सम्बन्ध में एस0पी0सिटी महोदय को सीधे प्रस्तुत किया गया एवँ एस0पी0सिटी महोदय ने अवगत कराया कि मामला संज्ञान में है तथा इस पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।
(कार्यवाही-एस0पी0सिटी मेरठ)

(12) दिनांक 28-05-2015 को रिटायर्ड मेजर ज्ञान सिंह यादव ने मासिक बैठक में राशन कार्ड बनवाने एवँ राशन कार्ड में त्रुटिया होने के बारे में अवगत कराया। बैठक में उपस्थित जिला पूर्ति कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यालय में त्रुटिया ठीक करने के लिए कैम्प लगाया जा रहा है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने आदेश दिया कि डिफेन्स एन्कलेव कालोनी कंकरखेडा में कैम्प लगाकर त्रुटि ठीक की जाये।
(कार्यवाही- जिला पूर्ति अधिकारी मेरठ)

अन्त में उपस्थित समस्त अधिकारियों एवँ पूर्व सैनिकों/उनके आश्रितों का बैठक में उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त किया। इसी के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(मेजर वी0के0सिंह(अ0प्रा0)
अधिकारी

(नवनीत सिंह चहल)
मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ

पत्रांकः जि0सै0क0पु0/जि0सै0बन्धु/कार्यवृत्त-अगस्त/2015,

दिनाँकः 28 अगस्त ,2015

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को अवलोकनार्थ ।
2. निदेशक, निदेशालय,सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,उ0प्र0,लखनऊ ।
3. जिला सैनिक बन्धु के समस्त पदाधिकारियों को ।
4 सम्बन्धित विभाग- को इस आशय से प्रेषित कि लम्बित प्रकरणों पर तुरन्त कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध करायें ।

दूरभाष:2644551

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, मेरठ।

पत्रांक:जि0सै0क0पु0 / जि0सै0बन्धु / 2015 / दिनांक: ~~अगस्त,~~ 01 सितम्बर 2015

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,एन0आई0सी0
मेरठ।
श्री मनोज यादव,
ई–डिस्ट्रिक मैनेजर,
मेरठ ।

विषय:–**सेवारत / पूर्व सैनिकों / दिवंगत सैनिकों की पत्नियों एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ मासिक बैठक का कार्यवृत्त–माह अगस्त 2015।**

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ के पत्र सं0–399 / ओएसडी–कैम्प / 2015 दिनांक 05–06–2015 के अनुपालन में जिला सैनिक बन्धु की मासिक बैठक माह अगस्त 2015 के कार्यवृत्त की प्रति आपकी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है ।

2. कृपया प्राप्ति स्वीकार करने की कष्ट करें ।

संलग्नक:–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

01/09/2015

अधिकारी जिला सैनिक कल्याण
एवं पुनर्वास, मेरठ

प्रतिलिपि:–

उप निदेशक,–सूचना,मेरठ । कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में इस कार्यालय की ई–मेल आई डी–zsame-up@nic.in आपकी अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिकारी, जिला सैनिक कल्याण,
एवं पुनर्वास, मेरठ